हिन्दुस्तान 02
लखनऊ •शनिवार •25 जुलाई 2015

Media/LKO/133/2015

चीनी के दाम 2200 रुपए कुंतल से भी नीचे गए, मिलों की भुगतान क्षमता और गिरी

गन्ना नहीं खरीदेंगी निजी चीनी मिलें

अल्टीमेटम

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

भारी घाटे का सामना कर रही उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलें पेराई सत्र 2015-16 के लिए इस बार किसानों से गन्ना नहीं खरीदेंगी।

बीते पेराई सत्र में किसानों से लिए गए गन्ने का भुगतान करने में भारी कठिनाइयां झेल रही इन निजी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता घटकर 173 रूपए प्रति कुन्तल पर आ गयी है। जबकि हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत किसानों को 280 रुपये प्रति क्विंटल के राज्य परामर्शी मूल्य में से 240 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से तत्काल भुगतान करना है। अदालत ने प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश दे रखे हैं कि किसानों को इसी दर से शतप्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए। इस बारे में आगामी 28 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में प्रदेश सरकार को जवाब भी देना है।

इन सारे दबावों के चलते 2015-16 में प्रदेश में निजी चीनी मिलों के संचालन पर ही सवाल खड़ा हो गया है। देश भर की निजी चीनी मिलों के संगठन इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के शुरुआती आकलन के मुताबिक देश में गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार 23.14 लाख हेक्टेयर में गन्ने की फसल बोई गई है जबकि पिछले साल 2014-15 में यह 23.07 लाख हेक्टेयर थी।

अब सवाल यह भी पैदा हो गया है कि अगर राज्य में निजी चीनी मिलें नहीं चलीं तो इतने बड़े रकबे में तैयार हो रही प्रदेश की इस सबसे बड़ी नकदी फसल का क्या होगा ? निजी चीनी मिलों के संगठन यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपी इस्मा) की तरफ से हाल ही में इसी बाबत गन्ना आयुक्त को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि पिछले सात वर्ष में बाजार में चीनी के दाम सबसे कम हैं। 2014-15 के लिए निर्धारित 280 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य परामर्शी मूल्य अब इन निजी चीनी मिलों की मौजूदा भुगतान क्षमता से ज्यादा है।

बकाया भुगतान को मिले 150 करोड़ रुपये

राज्य मुख्यालय। प्रदेश सरकार ने उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड को 150 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि का इस्तेमाल 2014-15 के पेराई सत्र में किसानों से लिये गए गन्ने का मूल्य अदा करने में किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के चालू वित्तीय वर्ष में बतौर कर्ज सहकारी चीनी मिल संघ को कुल 550 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इनमें से 400 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

शेष बची 150 करोड़ रुपये की रकम अब जारी की गयी है। इस बाबत जारी शासनादेश में कहा गया है कि यह धनराशि उसी कार्य के लिए खर्च की जाएगी जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। ऋण की वापसी ब्याज सहित दस वर्ष में की जाएगी। ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी और नियमित भुगतान की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस तरह नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक होगी।